

जम नं 0592 अंश 14/1/13

सम्पत्ति अबभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 464/2023
 अर्थिक अधिकारी, Partner, Gold Pillar, Dabool Heights
 संविधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों को और अधारों का सन्निवेश प्रमाण-पत्र दिया जाय।
 (आवेदन में दिये गये कृष के अनुसार विवरण से)

इसलिफ में इसके द्वारा प्रमाणित किया है कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सम्बन्धियों और अधारों के बारे में दही 1 में और उक्त सम्पत्ति अनुसूचियों में ता. 01.10.2023 तक तथ्या के गै और देशी सम्पत्तियों के बाद निम्न सम्पत्तियों और अधारों का पता पता है।

क्रम सं.	क) संपत्ति का विवरण	विस्थापन की तिथि	ख) दाताओं का नाम और पता	प्राप्त के नाम		दाताओं की शर्तों के प्रति विवरण		
				निष्ठादक	राशेदा	खिला 1	ख 2	ख 3
	Mouza - Matkewine No. - 538 khate No. - 39 Plot No. 784.							
	Total Area 1.10 Acres out of which Area 58 Decimals.							
	NIL							

क) दाताओं को अनुसार विवरण दर्ज करें।
 ख) 1. प्रमाण-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यहाँ, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और संबंधित लगान दर्ज करें।

GOLD PILLAR Partner
 GOLD PILLAR Partner


12
यदि यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संस्थाओं और अद्वाराओं को छोड़, उक्त संपत्ति की प्रमाणीकरण करने वाले किताबें
अन्य संस्थाओं और अद्वाराओं पर पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :


(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - Clerk

तलाशी पर सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों में की


(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय 



तारीख 14/12/23


निष्पत्ति पर्याप्तरी की हस्ताक्षर


टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संस्थाओं और अद्वाराओं का उल्लेख किया गया है न आवेदक द्वारा मंगा प्रमाण-पत्रों के अनुसार
पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निश्चित शर्तों
में दिखाया गया हो; तो यही शर्तों से प्रमाणित संस्थाओं (इन्वेस्टमेंट) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नपत्र अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्वेस्टमेंट) की प्रविष्टियों देकर
हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि होगा याहते हो अथवा किन्हीं निश्चित संपत्तियों के अद्वाराओं को प्रमाणपत्रों की जाँच
हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। किन्हीं गैर पर गुप्तान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी
जायेगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने परतल
सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किताबें पूरा के लिए किताबें भी तला
जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि जाँच के बाद पत्रों में सम्बन्धित
अद्वाराओं को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक को न किये गये दो प्रमाणपत्रों
और अद्वाराओं की छूट के लिए किन्हीं भी तरह जिम्मेदार न होगा जितने उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

Searched made by me


D. P. Mukherjee
Adm. Dhanbad.